मोहर्रम जुलूस में हवा में वाहन लटका कर किया धमाका

- शांति भंग करने वाले 3 हिरासत में, साथियों की तलाश

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. मोहर्रम जुलूस के दौरान बुधवार-गुरुवार रात बड़नगर में कुछ युवकों ने शांति भंग करने का प्रयास किया. जुलूस के बीच 40 फीट ऊंचाई पर मैजिक को हवा में लटकाया और उसमें धमाका किया. सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और तीन युवकों को हिरासत में ले लिया जिनके खिलाफ सात धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है.

ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कारणदीप सिंह ने बताया कि बड़नगर के जय स्तंभ चौक से मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था. इस दौरान कुछ युवकों द्वारा एक मैजिक को क्रेन के माध्यम से 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया और उसे पर चढ़कर प्रदर्शन किया जाने लगा. मैजिक के ऊपर खड़े होकर हवा में झंडे लहराए जा रहे थे. यही नहीं हवा में लटका मैजिक में पटाखे जलाकर धमाका किया गया. जिसके चलते मैजिक के कांच फूट कर जुलूस में चल रहे लोगों पर गिरे. गनीमत रही कि बड़ी घटना नहीं हुई. जुलूस का वीडियो सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने मामला अपने संज्ञान में लिया.

इन धाराओं में केस

पुलिस ने संज्ञान लिया और शांति भंग करने का कृत्य पाकर लोगों की जान जोखिम में डालने का प्रकरण धारा 110, 125 (ए), 287, 288, 223 (बी), 285, 3 (5) बीएनएस दर्ज करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान शुरू कर दी. कुछ घंटे बाद ही शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भूरा खां, तपसील उर्फ तस्लीम उर्फ तस्लीम पिता नेहरू खा निवासी अडान मोहल्ला को हिरासत में लिया गया. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. बड़नगर पुलिस ने हिरासत में आए तीनों युवकों का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला. थाना प्रभारी कमलेश सिंघार के अनुसार तीनों को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

महाकाल क्षेत्र में ऑटो-ई-रिक्शा पर प्रतिबंध, जाम से मिलेगी राहत

- सिंहस्थ पूर्व व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद
- हरिफाटक से नीलकंठ द्वार तक जाममुक्त कॉरिडोर
- ट्रेनिंग लेकर आया पुलिस का नया बल

नवभारत न्यूज

उज्जैन. महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के बीच यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन, विभिन्न देवालयों में पूजा-अर्चना और मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान के लिए उज्जैन पहुंचते हैं. बढ़ती भीड़ और लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में महाकाल मंदिर क्षेत्र में ऑटो और ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया गया है.

गुरुवार से लागू इस व्यवस्था के तहत हरिफाटक मार्ग से नीलकंठ द्वार तक, बेगमबाग से स्मार्ट पार्किंग मार्ग, गुदरी चौराहा से महाकाल घाटी, यादव धर्मशाला मार्ग तथा हरसिद्धि मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन संकरे मार्गों पर अक्सर वाहनों की भीड़ के कारण श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था.

श्रद्धालुओं और शहरवासियों दोनों को लाभ-नई व्यवस्था से महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिलेगी और उन्हें मंदिर तक अधिक सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा. वहीं स्थानीय रहवासियों को भी प्रतिदिन लगने वाले दो से तीन घंटे के ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है. विशेष रूप से हरिफाटक से नीलकंठ द्वार तक का मार्ग अब अपेक्षाकृत जाममुक्त रहेगा।.ुलिस प्रशासन का मानना है कि इससे वीआईपी और प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था भी अधिक व्यवस्थित होगी तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दर्शन का लाभ मिल सकेगा.

पुलिस के हाथ में तख्तियाँ - गुरुवार को पुलिस बल पूरे दिन उन चौराहों और मार्गों पर तैनात रहा जहां प्रतिबंध लागू किया गया है. पुलिसकर्मियों ने सूचना तख्तियां लेकर वाहन चालकों को नई व्यवस्था समझाई और गांधीवादी तरीके से समझाइश देकर ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी.

जाम से मुक्ति -पहले दिन कई चालकों को इस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, पुलिस की समझाइश के बाद अधिकांश चालकों ने सहयोग किया. इसका परिणाम यह रहा कि महाकाल क्षेत्र में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अपेक्षाकृत कम जाम का सामना करना पड़ा.

पुलिस प्रशासन का लक्ष्य

नवभारत से चर्चा में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन की यातायात व्यवस्था को पूरी तरह व्यवस्थित करना है, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकाल नगरी में बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके.

नए पुलिस बल से ट्रैफिक को सहारा-उज्जैन पुलिस को नए महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मिले हैं. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनकी तैनाती विभिन्न थानों में की गई है. महाकाल थाना, नीलगंगा थाना सहित प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है.

यूनियन को लिया भरोसे में

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यह निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था. इसके बाद पुलिस ने ऑटो यूनियन और ई-रिक्शा संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी दी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर तक यात्रियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन संकरे मार्गों में ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश नहीं होगा. उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना प्राथमिकता है, ताकि उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सकारात्मक अनुभव मिल सके और शहर की छवि भी बेहतर बने.

ट्रांसफर से पहले 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाया जिला संयोजक

- नीमच में आदिम जाति कल्याण विभाग में लोकायुक्त की दबिश

दिनभर चलती रही इस विषय की चर्चा

जिले में यह चर्चा का विषय बना कि स्थानांतरण के बाद विभाग छोड़ने की तैयारी कर रहे अधिकारी का नाम इतनी बड़ी रिश्वतखोरी की कार्रवाई में सामने आया है. लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में भी हलचल देखी जा रही है.

नवभारत न्यूज़

नीमच. जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गुरुवार को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. लोकायुक्त की टीम ने विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर और उत्कृष्ट बालक छात्रावास नीमच के अधीक्षक हरीश चौहान को एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ लिया. खास बात यह है कि जिला संयोजक राकेश राठौर का हाल ही में ट्रांसफर हो चुका है. विदाई से पहले ही रिश्वतखोरी का मामला सामने आने से हडकंप मच गया.

जानकारी अनुसार लोकायुक्त की टीम की यह कार्रवाई कलेक्टर कार्यालय परिसर में संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में हुई. जिस परिसर में जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, वहीं एक लाख रुपये की रिश्वत का लेन-देन पकड़े जाने से सरकारी कार्यप्रणाली और विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लोकायुक्त डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल ने बताया कि शिकायतकर्ता कुर्दुला एक्का, जो कि जूनियर कन्या छात्रावास कुकड़ेश्वर में अधीक्षक हैं, ने शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया गया कि छात्रावास संचालन में अनियमितताओं के चलते कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की थी. जांच में सहयोग करने और उनका लंबित वेतन जारी कराने के नाम पर जिला संयोजक राकेश राठौर और छात्रावास अधीक्षक हरीश चौहान ने 1 लाख 25 हजार की रिश्वत मांगी. शिकायत सही पाए जाने पर डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक उमेश जाटव, श्याम शर्मा, मोहम्मद इसरार, संजीव कुमारिया, अंजली पुरानिया की टीम बनाई गई. गुरुवार को जैसे ही अधिकारी ने रिश्वत की राशि ली, उन्हें रंगेहाथ दबोच लिया.

14 हजार की रिश्वत लेते पटवारी लोकायुक्त के जाल में फंसा

- नामांतरण और भूमि बंटवारे की कार्रवाई के एवज में मांगी थी रकम

नव भारत न्यूज

इंदौर/झाबुआ. लोकायुक्त इंदौर की टीम ने झाबुआ जिले में रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. आरोपी पटवारी कृषि भूमि के बंटवारे और खसरा खतौनी से मृत महिला का नाम हटाने की कार्रवाई के एवज में रिश्वत मांग रहा था.

ट्रैप दल में कार्यवाहक निरीक्षक सचिन पटेरिया ने बताया कि ग्राम सुरड़िया, तहसील राणापुर निवासी देवा मेडा ने शिकायत की थी कि उसके ताऊ की मृत्यु के बाद कृषि भूमि के बंटवारे तथा खसरा खतौनी से स्वर्गीय पांगलीबाई का नाम हटाने के लिए पटवारी संदीप पवार 14 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है. शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई करते हुए पटवारी संदीप पवार, हल्का नंबर 6 ग्राम सुरड़िया, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई.

कैट ने डीपीसी में पुलिस अधिकारी को दी राहत

जबलपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के न्यायिक सदस्य अखिल कुमार श्रीवास्तव व प्रशासनिक सदस्य मल्लिका आर्या की युगलपीठ ने विभागीय कार्रवाई में विलंब के कारण किसी अधिकारी के पदोन्नति अधिकार प्रभावित होने के मामले में हस्तक्षेप किया है. अधिकरण ने राज्य पुलिस सेवा के 1998 बैच के अधिकारी व वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा संदीप मिश्रा की उम्मीदवारी को आईपीएस चयन वर्ष-2025 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में विचारार्थ शामिल करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि उनके चयन संबंधी निर्णय को अंतिम आदेश तक सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा. मामले में अधिवक्ता पंकज दुबे व अक्षय खंडेलवाल ने अधिकरण के समक्ष दलील दी कि दंड की प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी है, फिर भी उसके आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर किए जाने की आशंका है. याचिका में कहा गया कि वर्ष 2010 में जारी आरोप-पत्र के संबंध में जांच पूरी होने पर वर्ष 2014 में मिश्रा को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन उसी प्रकरण के संदर्भ में वर्ष 2018 में दो वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने का दंडादेश पारित कर दिया गया.

नशे के खिलाफ चलेगा अभियान

सीएम ने सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजन के आवागमन के लिए सभी शासकीय भवनों को बाधारहित बनाना आवश्यक है. बच्चों में दिव्यांगता के बारे में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में आवश्यक सामग्री शामिल की जाए. उन्होंने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है. नशे के विरूद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और कॉलेज स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरूद्ध जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उक्त निर्देश गुरुवार को मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन्म दिवस, विवाह वर्षगांठ जैसे शुभ अवसरों और परिजन की स्मृति में जरूरतमंदों को भोजन कराने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है. उन्होंने ऐसी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक पहल को, प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर निराश्रितों को भोजन कराने के लिए निश्चित व्यवस्था के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया.

> नशामुक्ति भारत अभियान के तहत 12 हजार वालेंटियर्स बनाये गये हैं, जो नशे के दुष्परिणामों से जन सामान्य को अवगत करा रहे हैं. दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार उपलबध कराने के लिए भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कार संस्थानों से एमओयू किया गया है. इन संस्थाओं द्वारा 12 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. वृद्धजनों की देखभाल के लिए 54 प्रतिभागियों को केयर-गिवर का प्रशिक्षण दिलवाया गया.

बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा अभियान वर्ष 2025 के तहत प्रदेश में 6 करोड़ 52 लाख रुपए के कृत्रिम अंग एवं सहायक यंत्र दिव्यागंजन को उपलब्ध कराये गये. प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए संचालित विशेष विद्यालयों में दिव्यांगजन के लिए 168 स्मार्ट क्लास तैयार की गई हैं.

पेज एक का शेष

ईडी ने एलएनसीटी ग्रुप से 4 करोड़ की नकदी की जब्त

सोसायटी में तलाशी की कार्रवाई चौकसे समूह से जुड़े आवासीय परिसरों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की गई. तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज /सामग्री, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति संबंधी दस्तावेज भी जब्त किए गए. जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान नकदी और सोना मिलने के साथ ही मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण, ईआरपी एवं टैली डेटा, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी ईडी ने जब्त किए है.

गौरतलब है कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्लू) ने कुछ महीने पहले अरबों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की थी. इसके बाद ईडी भी सक्रिय हुआ. आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी की निधियों के बड़े पैमाने पर गबन एवं दुरुपयोग से संबंधित वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप सामने आए. संबंधित मामले में जयनारायण चौकसे सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की गई. ईडी की जांच में सामने आया कि आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन सोसायटी, जो कई शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थानों का संचालन करती है, चौकसे परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के नियंत्रण में थी. सोसायटी और उसके संस्थानों के नाम पर छात्रों से प्राप्त शुल्क, छात्रवृत्ति अनुदान के साथ ही बैंकों से प्राप्त ऋणों की राशि को आरोपित व्यक्तियों के नियंत्रण वाले संबद्ध ट्रस्टों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया था.

मानसून ने पकड़ी रफ्तार

46 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

02 से 3 दिन में पूरा प्रदेश होगा तरबतर

भोपाल, 25 जून. मध्यप्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद मौसम ने तेजी से करवट ली है. मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है. साथ ही अनुमान जताया गया है कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा.

हालांकि ग्वालियर-चंबल संभाग ऐसा क्षेत्र रहेगा, जहां मानसून सबसे आखिर में पहुंचेगा.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी मध्यप्रदेश के 15 जिलों में मानसून सक्रिय हो चुका है. अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में मानसून के प्रवेश की आधिकारिक घोषणा की गई है. इन जिलों के अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, देवास, झाबुआ, नर्मदापुरम, सागर, जबलपुर और बुंदेलखंड के कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है.

> प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी गर्मी और उमस बनी रहेगी. नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, रीवा और सिंगरौली में उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है, जबकि सीधी जिले में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है. इस बार मानसून ने सामान्य तिथि को प्रदेश में 9 दिन की देरी से मानसून ने दस्तक दी. इसका असर शुरुआती बारिश के आंकड़ों में भी दिख रहा है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60